सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ब्यावर (जिला–अजमेर)

आदेश

दिनांक 28.3.19

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी जो राजस्व वाद संख्या 27/2017 तथा विविध प्रार्थना पत्र संख्या 25/2017 पर प्रस्तुत हुआ है।

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते तलबी पत्रावली पर पत्रावली तलब की गई। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर कथन किए हैं कि वादीगण ने मौजूदा वाद के पद नम्बर 1 में अंकित आराजियात के संबंध में राजस्व रेकार्ड आदि का निरीक्षण कर/करा प्रत्येक प्रकार से संतुष्टि कर ली है कि वादपत्र पत्र के पद नम्बर 1 में अंकित आराजियात सहित उन पर विद्यमान सम्पत्ति पेड़ पौधे इत्यादि के वे कभी भी खातेदार काश्तकार या मालिक नहीं रहे और न ही वादपत्र के पद नम्बर 1 में अंकित आराजियात पर काबिज काश्त, उपयोग, उपभोग ही किया है। राजस्थान में काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व से ही वादीगण के पूर्वज खातेदार काश्तकार नहीं रहे हैं और न ही कभी काबिज, काश्त उपयोग उपभोग ही की है। उक्त सम्पूर्ण वर्णित आराजियात पर वाद दायरी के पूर्व से ही प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 का ही कब्जा, काश्त, उपयोग व उपभोग बतौर मालिकाना स्वामित्व एवं खातेदारी के चला आ रहा है। प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 को उक्त आराजियात के संबंध में प्रत्येक प्रकार से सव्यंवहार करने का अधिकार है, वे उक्त आराजियात के संबंध में चाहे जो संव्यवहार करे, उसमें भविष्य में कोई भी उजर एतराज नहीं कर सकेंगे। अतः वादग्रस्त आराजियात के संबंध में कोई अनुतोष प्राप्त नहीं करना चाहते हैं तथा उक्त वाद को विड्रो करवाना चाहते हैं। अतः वादीगण को वाद विड्रो किये जाने की अनुमति प्रदान की जाकर वाद आज ही विड्रो किये जाने के आदेश प्रदान करने के कथन किए।

इसी क्रम में प्रतिवादिया संख्या 15 व 16 स्वयं व उनकी ओर से अधिवक्ता श्री बालचन्द जांगिड़ ने वकालतनामा व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि मौजूदा प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 15 व 16 प्रफोर्मा प्रतिवादीगण है तथा वादीगण के समान ही वाद के पद नम्बर 1 में अंकित आराजियात सहित प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 की किसी भी आराजियात में प्रतिवादी नम्बर 15 व 16 का कोई भी हित, अधिकार, हिस्सा नहीं रहा है। राजस्थान में काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व से ही प्रतिवादी नम्बर 15 व 16 के पूर्वज खातेदार काश्तकार नहीं रहे हैं और न ही कभी काबिज काश्त, उपयोग उपभोग की है। उक्त सम्पूर्ण आराजी पर वाद दायरी के पूर्व से ही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का ही कब्जा काश्त व मालिकाना स्वामित्व व खातेदारी में चला आ रहा है। उक्त आराजियात के संबंध में प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 को प्रत्येक प्रकार से संव्यवहार करने का अधिकार है, वे उक्त आराजियात के संबंध में चाहे जो सव्यंवहार करे, उसमें भविष्य में कोई भी एतराज नहीं कर सकेंगे।

दोनों उपस्थित पक्षों के अधिवक्ता ने उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद इसी स्तर पर विड्रो किये जाने की स्वीकृति दी जाकर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों को उपस्थित पक्षकारान समस्त वादीगण व प्रतिवादिया संख्या 15 व 16 को पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिन्होंने बाद समझने, वादपत्र में वर्णित भूमियों में अपना कोई हक हिस्सा नहीं होने बाबत् तथा उक्त भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की होने बाबत् सहमति जाहिर की तथा आपसी सुलहनामा होना स्वीकार किया। उपस्थित समस्त वादीगण व प्रतिवादिया संख्या 15 व 16 के उक्त आशय के हस्ताक्षर आदेशिका में करवाए गए जिनकी पहचान उनके अधिवक्तागण ने अंकित की।

चूंकि वादीगण स्वयं ही अपना वाद चलाना नहीं चाहते हैं तथा विधिक प्रावधनों के तहत **"वाद संस्थित किए जाने के पश्चात् किसी भी समय वादी सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी के विरूद्ध अपने वाद का परित्याग या अपने दावे के भाग का परित्याग कर सकेगा।"** ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं वाद विड्रो की स्वीकृति के साथ यह वाद इसी स्तर पर खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 28.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

(जसमीत सिंह संधू)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.11.30 14:55:40 IST
Reason: SelfAttested